

कार्यालय, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक :— सन्नि / स्कूलशिक्षा / जय / संस्था-2 / एफ-नियमितिकरण / 2021 दिनांक :— 21.05.2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
जयपुर / अलवर / दौसा

विषय :— आरपीएससी 2016 से चयनोपरान्त सीधी भर्ती से 2 वर्ष के लिए प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में नियुक्त वरि० अध्यापकों के परीविक्षाकाल समाप्ति एवं स्थाईकरण हेतु प्रकरण भिजवाने वावत ।

विषयान्तर्गत लेख है कि आरपीएससी 2016 से चयनोपरान्त सीधी भर्ती से 2 वर्ष के लिए प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में संलग्न सूची अनुसार अन्यर्थियों को वरि० अध्यापक (विषयवार) के पद पर नियुक्ति आदेश माह अप्रैल 2018 में जारी किये गये थे। इसमें से आपके जिले में कार्यग्रहण करने वाले वरि० अध्यापकों के परीविक्षाकाल समाप्ति एवं स्थाईकरण हेतु प्रकरण संलग्न निर्धारित प्रपत्र में निम्न लिखित दस्तावेजों सहित अधीनस्थ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से ई-मेल पर प्राप्त कर संकलित करके इस कार्यालय को ई-मेल पर उपलब्ध करावें ताकि अप्रैल 2020 तक परीविक्षाकाल पूर्ण कर चुके इन वरि० अध्यापकों के परीविक्षाकाल समाप्ति एवं स्थाईकरण आदेश एक साथ जारी किये जा सकें।

- पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित प्रपत्र संबंधित संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित एवं रीबीईओं द्वारा अभिशंषित ।
- प्रोबेशन ट्रेनी अवधि से संबंधित सत्रों के कक्षा 8 एवं 10 बोर्ड परीक्षा परीणाम ।

प्रोबेशन ट्रेनी अवधि में अवेतनिक असाधारण अवकाश पर रहा है तो उसकी स्वीकृति नियुक्ति अधिकारी द्वारा 30 दिवस तक एवं 30 से अधिक होने पर राज्य सरकार से आवश्यक है। ऐतदर्थ किसी वरि० अध्यापक के अवधि का असाधारण अवकाश सक्षम स्तर पर स्वीकृति नहीं हो रखा है तो उसका असाधारण अवकाश स्वीकृत करावें। सक्षम स्तर से बिना असाधारण अवकाश स्वीकृत कराये परीविक्षाकाल समाप्ति एवं स्थाईकरण हेतु प्रकरण नहीं भिजवायें।


संलग्न :— उपरोक्तानुसार

www.rajteachers.com


संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
जयपुर संभाग, जयपुर

प्रतिलिपि :—

- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय जयपुर, अलवर, दौसा ।
- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) मुख्यालय जयपुर, अलवर, दौसा
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जयपुर मण्डल


संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
जयपुर संभाग, जयपुर

परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनर) के वेतन नियमितिकरण / स्थाईकरण हेतु आवेदन

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1(2) एफ डी/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 के प्रावाधानान्तर्गत दो वर्ष के परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियम रिथरं मानदेय/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त व.अ./व.शा.शि.की परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये जाने पर नियमित वेतनमान प्रदत्त करने/सेवा स्थाईकरण हेतु आवेदन पत्रः—

1	नाम (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी)	
2	पद व विषय	
3	मेरिट क्रमांक	
4	पिता का नाम	
5	जन्म तिथि	
6	कार्यग्रहण तिथि	
7	कार्यग्रहण दिनांक (आदेश संलग्न करे)	दोपहर पूर्व/पश्चात्
8	पद पर अनवरत कार्यरत है या नहीं	
9	नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक (आदेश संलग्न)	
10	पद पर नियमित वेतनमान की प्रस्तावित तिथि	
11	परीक्षा परिणाम कक्षा व सत्रवार (संलग्न करे)	
12	संस्था प्रधान के दूरभाश/मोबाइल नम्बर	

13 परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी का सेवा विवरण

क्र.स.	विद्यालय का नाम	कार्यरत अवधि –कब से कब तक	विशेष विवरण
1			
2			
3			

14 उपभोग किये गये अवकाशों का विवरण —

आकस्मिक अवकाश के अलावा स्वीकृत किये गये अवकाशों के आदेशों,या सेवा पुस्तिका के अवकाश इन्द्राज पृष्ठ की प्रति संलग्न करें।

क्र. स.	अवकाश का प्रकार	अवकाश का दिनांकवार विवरण	कुल संख्या
1	प्रसुति अवकाश		
2	पितृत्व अवकाश		
3	अवैतनिक अवकाश		
4	परिवतित अवकाश		
5	आकस्मिक अवकाश (पद पर कार्यग्रहण तिथि से)	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष	
6	अन्य अवकाश		

दिनांक

हस्ताक्षर परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी

विद्यालय का नाम –

कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ सुश्री पद विषय
..... का उपरोक्त विवरण विद्यालय/ कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड से मिलान कर लिया गया है तथा पूर्णतः सही है। उक्त कानून के विरुद्ध सीसीए 16–17 में कोई अनुशासनात्मक विभागीय जांच कार्यवाही नहीं चल रही है एवं न ही प्रस्तावित है। उक्त अवधि में इनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है। इनका कार्य व व्यवहार सन्तोषजनक है। इनकों दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम 21 अनुसूची 5 में अंकित प्रावधानानुसार नियमित वेतन श्रृंखला एवं देय अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किए जाने एवं सेवा स्थार्झकरण की अभिशंषा की जाती है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर व मोहर

कार्यालय:-जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा.

क्रमांक :-

दिनांक :-

श्री/ श्रीमती/ सुश्री पद पदस्थापन स्थान
.....जिला द्वारा परीवीक्षाकाल की अवधि सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने तथा इनके विरुद्ध किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन/ प्रस्तावित नहीं होने पर संस्था प्रधान की अभिशंषा को मध्यनजर रखते हुये इनकों नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत करने एवं इनकी सेवायें स्थार्झकरण की अभिशंषा की जाती है।

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि)

कार्यालय:- उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा .

कार्यालय टिप्पणी